



2026:AHC:54499

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 9868 वर्ष 2026

सुरेंद्र पाल याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शिव शंकर पाल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कौशल किशोर मणि

न्यायालय सं - 37

माननीय क्षितिज शैलेन्द्र

1. याचिकाकर्ता श्री सुरेंद्र पाल को व्यक्तिगत रूप से पेश करते हुए सुना, हालांकि उन्होंने पहले श्री शिव शंकर पाल को नियुक्त किया था, जो अदालत में बैठे हैं और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए स्थायी अधिवक्ता भी हैं।
2. यह याचिका दिनांक 01.02.2024 और 23.09.2025 के आदेशों के विरुद्ध निर्देशित है। पहले आदेश द्वारा, प्रस्तुत याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत कार्यवाही में प्रतिपक्षी होने के नाते, सी.पी.सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है और दूसरे आदेश द्वारा, प्रथम प्राधिकरण के आदेश की पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।
3. याचिकाकर्ता का कहना है कि मुकदमा बिना किसी आधार के दायर किया गया था, वादी के पास संपत्ति का कोई शीर्षक नहीं है, समेकन कार्यों में याचिकाकर्ता का नाम दर्ज किया गया था, वाद को सीमा से रोक दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश होल्डिंग्स अधिनियम, 1953 की धारा 49 के तहत बार से भी प्रभावित है और मुकदमे के साथ कोई दस्तावेजी सबूत दायर नहीं किया गया है, इसलिए वादपत्र खारिज किया जा सकता था। आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा आदेश VII नियम 11 सी.पी.सी. के तहत अपने आवेदन के साथ भारी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, हालांकि इसे देखे बिना,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदन को खारिज कर दिया गया है और उसके बाद पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि न तो याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णय और न ही लिखित बयान पर अवर न्यायालयों द्वारा विचार किया गया है।

4. स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि अवर न्यायालयों ने आवेदन और पुनरीक्षण को इस कारण से खारिज कर दिया है कि उन्होंने पाया है कि मामले का फैसला पक्षों द्वारा मुद्दों को तैयार करने के बाद और सुनवाई के बाद अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने के बाद किया जाएगा और इसलिए, याचिकाकर्ता को इस स्तर पर कोई पूर्वाग्रह नहीं कहा जा सकता है।

5. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, न्यायालय **चेतराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य 2026 (2) ए.डी.जे. 760** में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के हालिया निर्णय को संदर्भित करना उचित समझता है:, जिसमें संहिता, 2006 के तहत कार्यवाही में सी.पी.सी. के प्रावधानों की प्रयोज्यता पर व्यापक रूप से विचार किया गया है और यह माना गया है कि नियमों के नियम 186 सपठित संहिता की धारा 214 के प्रावधानों के मद्देनजर, सी.पी.सी. सारांश कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। उक्त मामला आदेश VII नियम 11 सी.पी.सी. के तहत एक आवेदन की अस्वीकृति से भी उत्पन्न हुआ था।

6. हालांकि, यह मामला अलग-अलग स्तरों पर खड़ा है, क्योंकि नियम 186 में प्रयुक्त भाषा प्रकृति में स्पष्ट है और सी.पी.सी. के प्रावधानों की गैर-प्रयोज्यता सारांश कार्यवाही के संबंध में निर्धारित की गई है और चेतराम (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय भी संहिता की धारा 67 द्वारा आच्छादित की गई सारांश कार्यवाही से संबंधित है। जहां तक अन्य मामलों, यानी गैर-सारांश कार्यवाही/नियमित कार्यवाही का संबंध है, संहिता की धारा 214 के आधार पर, सी.पी.सी. के प्रावधानों की प्रयोज्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है।

7. इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा दायर आदेश VII नियम 11 सी.पी.सी. के तहत आवेदन सुनवाई योग्य पाया जाता है। फिर भी, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता द्वारा आदेश VII नियम 11 सी.पी.सी. के मापदंडों के भीतर उठाई गई याचिका की जांच करनी होगी।



8. हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन में नियम 11 के किसी उप-खंड का संकेत नहीं दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता या तो उप-नियम (ए) द्वारा आच्छादित की गई याचिका उठाता है जहां वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है या उप-नियम (डी) जहां मुकदमा कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है।

9. उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में, मुख्य प्रावधान को पढ़ा जाना चाहिए और करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले को ध्यान में रखते हुए: एसएलपी (सिविल) संख्या-3560-3561/2023, 15.10.2025 को निर्णय लिया गया और पी.वी. गुरु राज रेड्डी प्रतिनिधि जीपीए लक्ष्मी नारायण रेड्डी और अन्य बनाम पी. नीरधा रेड्डी और अन्य आदि: (2015)8 एस.सी.सी. 331, आदेश VII नियम 11 सी.पी.सी. की याचिका को केवल "वादपत्र में निहित बयान" के आधार पर देखा जाना चाहिए और उस स्तर पर बचाव पक्ष की जांच नहीं की जा सकती है।

10. हालांकि कुछ प्राधिकरणों में, यह माना गया है कि वादपत्र का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों को आवेदन में उठाई गई दलीलों के समर्थन में भी देखा जा सकता है, हालांकि जहां तक बचाव का संबंध है, उस स्तर पर, न तो लिखित बयान और न ही आपत्तियों और न ही प्रतिपक्षी द्वारा दायर दस्तावेजों की जांच की जा सकती है।

11. कानून के उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में जब याचिकाकर्ता की याचिका की जांच की जाती है, तो इस न्यायालय को दोनों अधिकारियों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं मिलती है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन के माध्यम से उसके द्वारा उठाए गए सभी तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों पर अपनी बात होगी, मुद्दों को तैयार करने और साक्ष्य का नेतृत्व करने के बाद।

12. याचिकाकर्ता के लिए यह भी खुला होगा कि वह मामले को आगे बढ़ाने से पहले एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में न्यायालय द्वारा तैयार किए गए किसी भी मुद्दे पर निर्णय के संबंध में याचिका दायर कर सकता है क्योंकि उक्त सहारा आदेश XIV सी.पी.सी. के प्रावधानों के आधार पर प्रतिपक्षी के लिए उपलब्ध है।

13. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस याचिका में आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप किए बिना, उपरोक्त टिप्पणियों के साथ याचिका का निस्तारण किया जाता है।



मार्च 17, 2026

साजिया

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!